फाइल नं0-71-3099/103/2020-03

49/2023/I/294445/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
प्रतापगढ़।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 28 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़ के निर्माण कार्य हेतु धनराशि (राज्यांश) का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–ए0एस0एम0सी0/पी0बी0एच0/2023/248, दिनांक 07.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 220.8988 करोड़ + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) (व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 21300.75 लाख एवं विद्युत संयोजन हेतु अनुमोदित लागत रू0 7.8913 करोड़) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 220.8988 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 201.2313 करोड़ वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	संख्या-43/2018/909/71-3-2018-एन0एम0-06/2018, दिनॉक 14-11-2018	50.00 (केन्द्रांश)
2	संख्या-85/2019/1278/71-3-2019-एन0एम0-06/2018, दिनॉक 14-11-2019	14.14 (केन्द्रांश)
3	संख्या-16/2019/73/71-3-2020-एन0एम0-06/2018, दिनॉक 04-03-2020	15.00 (राज्यांश)
4	संख्या-56/2020/378/71-3-2020-एन0एम0-06/2018, दिनॉक 24-09-2020	20.00(राज्यांश)
5	संख्या-92/2020/1383/71-3-2020-एन0एम0-06/2018, दिनॉक 30.12.2020	20.00(केन्द्रांश)
6	संख्या-28 /2021/326/71-3-2021-एन0एम0-06/2018, दिनॉक 23.02.2021	40.00(केन्द्रांश)
7	संख्या-115 /2021/ई-1787341/71-3-2021-एन0एम0-06/2018, दिनांक 10.09.2021	16.85 (केन्द्रांश)
8.	संख्या-14122021/956/71-3-2021, दिनॉक 06.12.2021	7.8913 (विद्युत संयोजन)
9.	संख्या-49 /2022/ई-2027167/71-3099/103/2020-03, दिनांक 15.03.2022	17.35 (राज्यांश)
	योग	**201.2313**

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 220.8988 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष **रू0 4.04 करोड़ (रू0 चार करोड़ चार लाख मात्र)** की धनराशि राज्यांश के रूप में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइननिर्देशों में-दिशा/ दी गयी शर्तोंप्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।/
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रधानाचार्य द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत अवमुक्त धनराशि/का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर - यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के- अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।
5. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-43/2018/909/71-3-2018-एन0एम0-06/2018, दिनांक 14-11-2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,04,00,000 (रुपये चार करोड़ चार लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058903 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-608/दस-2022-23, दिनॉक 24 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in